राज कुमार गोयल, भा.प्र.से.
RAJ KUMAR GOYAL, IAS
सचिव
SECRETARY

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
DEPARTMENT OF JUSTICE

हिंदी दिवस संदेश

हिंदी दिवस/हिंदी पखवाड़ा के शुभ अवसर पर मेरी शुभकामनाएं ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था । तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस और पूरे माह को हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया जाता है । संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की सशक्त अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ।

अतः राजभाषा में काम करना न केवल हमारी सांविधिक जिम्मेवारी है बल्कि हमारा नैतिक दायित्व भी है । हम सभी को राजभाषा संकल्प 1968, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के अनुसरण में हिंदी के प्रसार और विकास की गति बढ़ाने में प्रयासरत रहना चाहिए ।

मुझे प्रसन्नता है कि न्याय विभाग में राजभाषा हिंदी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के लिए एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित करने और अधिकारियों व कार्मिकों को अपना सरकारी कार्य मूलरूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है।

हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं विभाग के सभी अधिकारियों व कार्मिकों से अपील करता हूँ कि वे विकसित राष्ट्र के सपने को साकार करने और आत्मनिर्भर होने के लिए सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग करके सरकार और विभाग के प्रयासों में अपना सक्रिय योगदान दें ।

जय हिन्द !

(राज कुमार गोयल)

नई दिल्ली
17 सितंबर, 2024

कमरा नं 14, जैसलमेर हाउस, 26 मानसिंह रोड, नई दिल्ली–110011, टेलि : +91-11-23383674 फैक्स : +91-11-23384516, ई–मेल : secy-jus@gov.in
Room No.: 14, Jaisalmer House, 26 Mansingh Road, New Delhi-110011, Tel : +91-11-23383674 (O), Fax : +91-11-23384516, Email : secy-jus@gov.in